मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//संशोधित आदेश//

भोपाल, दिनांक 03/02/2022

क्रमांक/151/234/2022/26-2, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित कल्याणी विवाह प्रोत्साहन एवं नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। किंतु निराकरण न होने के कारण सामाजिक न्याय एवं नि:शकतजन कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 647/738/2021/26-2 दिनांक 04.03.2021 द्वारा समयावधि में आंशिक संशोधन किया गया था, कि ऐसे प्रकरण जो निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी प्राप्त होते है, ऐसे प्रकरण में पात्रता अनुसार हितग्राहियों को योजना का लाभ देने का निर्णय दिया जाये, मात्र एक वर्ष से अधिक समयावधि हो जाने के कारण पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित न रखा जावें ।

उपरोक्त के संदर्भ मे यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश क्रमांक 647/738/2021/26-2 दिनांक 04.03.2021 सिर्फ उन्ही प्रकरणो पर ही लागू होगा जिनमे कोविड-19 के कारण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में संपन्न कल्याणी विवाह एव नि:शक्त विवाह के हितग्राही किसी कारणवश निर्धारित समयावधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये । ऐसे प्रकरणों में सघन जांच कर 31 मार्च 2022 तक न्यायोचित् निर्णय लिया जाकर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय करने की कार्यवाही संबंधित जिले के संयुक्त/उपसंचालक प्रकरणों में कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त कर सुनिश्चित करेगें । 31 मार्च 2022 के उपरांत कोविड के कारण विलंब हुये प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा । शेष प्रावधान पूर्व आदेश क्रमांक एफ 3-5/2018/26-2 दिनांक 03.05.2018 के अनुसार यथावत रहेंगे।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग
भोपाल दिनांक 03/02/2022

पृ.क्रमांक/152/234/2022/26-2

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
2. प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश ।

4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कलयाण संचालनालय भोपाल ।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश ।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
7. समस्त संयुक्त / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कलयाण मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(प्रतीक हजेला)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग